न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 93/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 28.04.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/93

सत्यनारायण पिता केशरीमल जाति छीपा, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण संख्या 18/2022 निर्णय दिनांक 08.04.2022

उपस्थितिः–1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 24.08.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का, रायपुरियाकला की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रायपुरियाकला, ग्राम पंचायत गुन्दली की आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए दिनांक 08.04.2022 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली, पेनल्टी लगान 2/– रूपये का 50 गुणा यानि 100/– रूपये शास्ति एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के पटवार हल्का रायपुरियाकला की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुन्दली के आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.48 है. किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलांट का ढालीया बनाकर नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली, लगान 2/-रू. का 50 गुणा जुर्माना यानि 100/-रूपये शास्ति आरोपित करने तथा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट सत्यनारायण व बालमुकुन्द दो पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये बालमुकुन्द के न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं आने पर भी उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश जारी किए बिना एवं अपीलांट को अपना पक्ष रखने, दस्तावेज पेश करने का मौका दिए बिना उक्त आदेश जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने दिनांक 28.03.2022 को ही एस. डी. एम. भूपालसागर को जमीन नियमन योग्य होने से नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसका निर्णय में हवाला भी है फिर भी कार्यवाही लम्बित रहते हुए भी उक्त निर्णय पारित कर दिया जो तहसीलदार की मंशा को दर्शाता है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का 40 वर्षों पुराना कब्जा होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जा चला आ रहा है जिस पर पशुओं के लिए पक्का ढ़ालिया/बाड़ा एवं घास-फूस भरने के लिए कमरा बना रखा है अतः नियमन की कार्यवाही को नजर अन्दाज कर यह निर्णय दिया है जो खारिज होने योग्य है। अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.04.2022 निरस्त कर अपीलांट को कब्जे से बेदखल नहीं करने एवं सजा माफ किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से ढालिया बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है अपीलांट ग्राम आकोला का निवासी होकर ग्राम पंचायत गुन्दली में प्रवेश कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर नियमन हेतु एस. डी. एम. भूपालसागर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से उसके पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि होती है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

रिबट्ल में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.48 है. भूमि पर से अधीनस्थ भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा अपीलांट का नाजायज कब्जा जे. सी. बी. द्वारा दिनांक 13.06.2022 को ध्वस्त किया जा चुका है पुष्टि में शपथ-पत्र पेश है अतः सहानुभूतिपूर्वक तीन माह के सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में ग्राम गुन्दली की प्रश्नगत आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि पर उसका 40 वर्षों से पुराना कब्जा-काश्त होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत गुन्दली की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.95 हैक्टेयर बिलानाम भूमि है जिस में से 0.48 हैक्टेयर पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का रायपुरियाकला की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम गुन्दली की आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.95 में से 0.48 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। चूंकि अपीलांट ने प्रश्नगत आराजीयात पर से भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा उसका कब्जा हटा देने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 13.06.2022 को प्रश्नगत भूमि पर से अपीलांट का कब्जा हटाने संबंधी मौका पर्चा की प्रति उपलब्ध है। निष्कर्षतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2022 में आशिंक संशोधन करते हुए सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित (Quashed) करते हुए शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)